



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा अनुभाग RAJBHASHA SECTION)

कमरा संख्या : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)

Room No.:308, 3rd Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

फाइल संख्या: आरबीसी/10/2012/ 10 08

दिनांक: 03/10/2012
०४

परिपत्र CIRCULAR

विषय: द्विभाषी रबड़ की मोहरों का उपयोग।

Sub: Use of Bilingual Rubber Stamps.

राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987), के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली सभी रबड़ की मोहरें/सील द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में होनी चाहिए।

In pursuant to provisions contained in the Official Languages Rules, 1976 (As amended, 1987), all rubber stamps/seal used in the office should be in bilingual (Hindi & English) form.

यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के कई विभाग/अनुभाग/कार्यालय आदि उपर्युक्त अपेक्षा का पालन नहीं करते हैं और उनके द्वारा केवल अंग्रेजी में रबड़ की मोहरें/सील का प्रयोग जारी है।

It has been observed that the above requirement is not been adhered to by many Deptts./Sections/Offices etc, University of Delhi and only English rubber stamps/seal are being used.

राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुसार रबड़ की मोहरें केवल द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में ही तैयार कर प्रयोग की जानी चाहिए। अनुरोध है कि उपर्युक्त अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन हेतु प्रभावी उपाय करें।

As in accordance with the provisions of Official Language Policy the rubber stamp should be prepared and used in bilingual (Hindi & English) only. It is requested to take effective measures to comply with the above obligatory requirement.

यह कुलसचिव की अनुमति से जारी किया जाता है।

This is issued with the permission of the Registrar.

आनंद कुमारी
05-10-2012
(आनंद कुमार सोनी)

सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रति:

सभी विभागाध्यक्ष/सभी अनुभागों एवं कार्यालयों के प्रमुख

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, राभाकास एवं अधिष्ठाता (महाविद्यालय)
2. कुलसचिव
3. निदेशक (राजभाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली